·3:1 TIM FATTA	💁 pmypcuagra@gmail.com 🖀 मो० नं० : 0947394:	2644,
	कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,	
	यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र0 जल निगम (ग्रामीप वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004	ग)
The Bar	वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004	
पत्रांक		
प्रभागी	निदेशक	

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/09/94/2023/एफ.सी./371, दिनांक 13.10.2023 द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी चाही गयी है। उक्त के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना/जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	वांछित सूचना	सूचना / जानकारी
1	As per the Revised KML file area proposed for diversion is 0.96 ha which is still not matched with the proposal area. According to the Geo-referenced map positional error has been found. The shape of the KML file is also not matched with the Geo-referenced map, for example, KK Nagar. Geo- referenced map/ KML file of the area proposed for diversion may need to be revised	Revised KML file area proposed for diversion is 0.9024 hactare which is matching with the proposal area. The shape of the KML file is revised and matched with Geo referenced map and also uploaded to portal.
2	The revised kml file has been uploaded, but as per the DSS, the proposed CA land partially falls under the forest land this may need to be rectified.	Related to your office
3	Geo-referenced cadastral of the proposed CA land may need to be re- submitted.	Related to your office
4	The visibility of the SOI toposheet of the proposed CA land is poor. This may need to be re-uploaded with high dpi	Related to your office
5	As per part-ii of the proposal, zero trees are proposed while as per KML file some trees are visible on the area proposed for diversion.	Related to your office

अतः आपसे अनुरोध है कि डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु कुल 0.9024 हे. आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी कार्य की अनुमति कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन.जी.टी. से आच्छादित एवं भारत सरकार की अतिमहत्वपूर्ण नमामि गंगे योजना को ससमय पूर्ण किया जा सके।

भवदीय (रविन्द्रं प्रताष् सिंह) परियोजना प्रेबंधक परियोजना प्रविध्वक यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उठ गठ जल निगम (ग्रामीण), शागरा

परियोजना प्रबंधक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
- 2 सम्बन्धित परियोजना अभियन्ता / सहायक परियोजना अभियन्ता।



भारत सरकार **Government of India** पर्यावरण, वन एवं जलवाचु परिवर्तन मंत्रालच Ministry of Environment, Forest & Climate Change एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भयन, ग्यारचो तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनज-226024 Kendriya Bhawan, 11" Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696 Email : rocz.lko-mef@nic.in, golmoefroiko@gmail.com

पत्र सं0: 8बी / यू०पी0 / 09 / 94 / 2023 / एफ.सी. 271

दिनॉक: 13.10.2023

सेवा में

अति० मुख्य सचिव,

बपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/49462/2020

विषयः जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बांईपुर एवं शहर रेंज के अंतर्गत डी.एस.ए.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0ण्9024 हे0 आरक्षित वनमूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी का पत्रांक 569 / 11–सी– FP/UP/Others/49462/2020, दिनांक 04.09.2023.

ਸਤੀਟਹ

उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेष शासन के पत्रांक 1008/81–2–2023–800(30)/2023. दिनांक 18.04.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रष्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 31.05.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवष्यक जानकारी / सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रेषित अनुपालना पर परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देष हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके

- 1. As per the Revised KML file area proposed for diversion is 0.96 ha which is still not matched with the proposal area. According to the Geo-referenced map positional error has been found. The shape of the KML file is also not matched with the Geo-referenced map, for example, KK Nagar. Georeferenced map/ KML file of the area proposed for diversion may need to be revised.
- The revised kml file has been uploaded, but as per the DSS, the proposed CA land partially falls 2 under the Forest land. This may need to be rectified.
- 3. Geo-referenced cadastral of the proposed CA land may need to be submitted.
- 4. The visibility of the SOI toposheet of the proposed CA land is poor. This may need to be re-
- uploaded with high dpi. 5. As per part-ii of the proposal, zero trees are proposed while as per KML file some trees are visible on the area proposed for diversion.

मवदीय,

(ভাঁ০ দ্রणय मিश্रা) सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
- मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्रo।
- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- प्रभागीय निदेषक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।

5. परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, आगरा। अर्ि पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रम्नय मिश्रा) सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]